

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक:पं025(2)चिरवा/2/2018
निदेशक,(जन स्वा0),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राज0 जयपुर।

जयपुर,दिनांक 24.09.18

विषय:-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रामसीन, पंचायत समिति जसवन्तपुरा,
जिला जालौर को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में कमोन्नत किये
जाने एवं अतिरिक्त पदों के सृजन एवं विलोपन की स्वीकृति।
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदया की गौरव
यात्रा के दौरान घोषित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रामसीन, पंचायत समिति जसवन्तपुरा,
जिला जालौर को 30 शैद्याओं के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में कमोन्नत
करते हुये नार्म्स अनुसार निम्नानुसार 15 अतिरिक्त पदों के सृजन एवं 02 पदों के
विलोपन की स्वीकृति सारिणों के नीचे अंकित शर्तों के अध्याधीन एतद् द्वारा प्रदान
की जाती है :-

क्र.स.	पदनाम	स्टॉफिंग पैटर्न के अनुसार सृजित होने वाले पदों की संख्या	वर्तमान में स्वीकृत पद प्राथ.स्वा.केन्द्र रामसीन, जालौर	स्वीकृत अतिरिक्त पद राज्य निधि बजट मद 2210-03-104-01-00 CHC रामसीन, जालौर
1.	कनिष्ठ विशेषज्ञ	02	00	02 (मेडिसिन, सर्जरी)
2.	वरिष्ठ चिकित्साधिकारी	01	00	01
3.	चिकित्साधिकारी	02	01	01
4.	नर्स श्रेणी प्रथम	01	01	00
5.	नर्स श्रेणी द्वितीय ***	07	01	06
6.	फार्मासिस्ट	01	00	01
7.	सहायक रेडियोग्राफर	01	00	01
8.	लैब टेक्नीशियन	01	01	00
9.	कनिष्ठ सहायक	01	00	01
10.	मशीन चिद् मैन	(01)	(01)	00
11.	महिला स्वास्थ्य दशिका	00	01	(-)01
12.	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	00	01	(-)01
13.	वार्ड बॉय **	04	01	03
14.	सफाई कर्मचारी *	02	01	01
Total		23	98	17-02=15

उक्त अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति निम्न शर्तों के अध्याधीन प्रदान की
जाती है :-

(i) मशीन चिद् मैन () की सेवाएँ समय -समय पर जारी एक मुश्त स्वीकृति की सीमा में मानते
हुए प्राप्त की जावे।

(ii)*सफाई कार्य को जोब बेसिस पर Outsourcing से करवाने की स्वीकृति निम्न शर्तों के
अध्याधीन प्रदान की जाती है :-

--उक्त कार्य हेतु किसी भी रिथिति में सीधे रूप से व्यक्तियों की सेवायें नहीं ली जावेगी, ना ही
व्यक्तियों को एजेन्सी के माध्यम से अनुबंधित किया जावे।

--जॉब पर कराये जाने वाले कार्य का निर्धारण/विवरण (Scope of work) का स्पष्ट विवरण
अंकित करते हुए RTPP Act 2012 & Rule 2013 के प्रावधान व प्रक्रियाओं की पूर्ण पालना
सुनिश्चित की जावे।

--व्यय उपलब्ध बजट प्रावधान की सीमा में रखा जाना सुनिश्चित किया जावे।

-- स्वीकृत रिक्त पदों के विरुद्ध उक्त व्यवस्था लागू नहीं होगी।

(iii)** पूर्व में स्वीकृत एकमुश्त वार्ड बॉय के पदों से इन पदों को समायोजित किया जावे अर्थात् उक्त पद अलग से सृजित नहीं माने जावे।

(iv) ***नर्स श्रेणी द्वितीय के अतिरिक्त सृजित पद का समायोजन पूर्व की बजट घोषणा के संदर्भ में सृजित पद के अन्तर्गत किया जावे।

(v) पद सृजन की स्वीकृति के अन्तर्गत विलोपित किये जाने वाले कुल 02 पदों का बजट मदवार वर्गीकरण निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	पदनाम	बजट मद	विलोपित किये जाने वाले पदों की संख्या
1.	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	2210-03-197-01-04	01
2.	महिला स्वास्थ्य दर्शिका	2210-03-197-01-04	01
कुल योग			02

(vi) उक्त अतिरिक्त स्वीकृत पदों पर होने वाले व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए चिकित्सा संस्थानों के संबंधित बजट मदों में पर्याप्त प्रावधान उपलब्ध है, फलस्वरूप राशि का व्यय संबंधित बजट मद से नियमानुसार किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(vii) जिन पदों को (-) में दर्शाया गया है को इस चिकित्सा संस्थान से विलोपित मानते हुये पद स्थापित कर्मचारी की सेवाएँ अन्यत्र स्वीकृत रिक्त पदों पर प्राप्त की जावे।

उक्त स्वीकृति वित्त (व्यय-1) विभाग की आई.डी. संख्या 151801130 दिनांक 24.09.2018 के द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

भवदीय,

शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक: एफ. 683/योजना/विकास/सीएचसी रामसीन/2018/ 1295

दिनांक:- 12.10.18

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित/प्रशासन) मुख्यालय।
2. वित्तीय सलाहकार मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति में उल्लेखित अतिरिक्त पदों को आई.एफ.एम.एस पर अपलोड एवं विलोपित करवाने का श्रम करावे।
3. मुख्य अभियंता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, मुख्यालय।
4. नोडल अधिकारी, एमएनडीवाई/एमएनजेवाई/आदर्श पीएचसी, मुख्यालय।
5. सांख्यिकी अधिकारी (जीवनांक) मुख्यालय।
6. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन जोधपुर
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जालोर
8. प्रभारी, सर्वरूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभागीय वेबसाईट एवं संबंधित की ई-मेल आई0डी0 पर अपलोड करवाने का श्रम करावे।
9. आदेश/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (योजना)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर